कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – दुर्ग, छ.ग.

क्रमांक / स्थापना / नर्सिंग / 2016 / 3166 दुर्ग, दिनांक 04 / 03 / 2016

प्रति,

चिकित्सा संचालक,
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्युट आफ मेडिकल सांइस
जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.

विषयः–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहका एवं नगपुरा के उन्नयन एवं स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र के स्थापना हेतु उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः–:आपका पत्र दिनांक 03.11.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके व्दारा इस कार्यालय में दिनांक 03.11.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये श्री शंकराचार्य इंस्टीट्युट आफ मेडिकल सांइस जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग के व्दारा उन्नयन एवं व्हेक्सीनेशन, जननी सुरक्षा,एएनसी,पीएनसी एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकम तथा स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जाने बाबत् निवेदन किया गया है।

अतः आपको भारतीय आयुर्विज्ञान परिसर नई दिल्ली के व्दारा उनके पत्र दिनांक 01 फरवरी 2016 के तारतम्य में उनके व्दारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार उन्नयन एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण जारी कार्यक्रम के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहका एवं नगपुरा जिला दुर्ग को श्री शंकराचार्य इंस्टीट्युट आफ मेडिकल सांइस दुर्ग के अंतर्गत अधिकृत किया जाता है।

छात्रों एवं स्टाफ के उपरोक्त कार्यक्रम एवं शिक्षण–प्रशिक्षण उन्नयन इत्यादि की जो भी राशि व्यय होगी उसकी समस्त देनदारियां श्री शंकराचार्य इंस्टीट्युट मेडिकल साइंस जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग की होगी तथा उपरोक्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा केन्द्र का नियंत्रण आपके व्दारा सम्पादित की जावेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दुर्ग छ.ग.

पृ.क्र. / स्थापना / नर्सिंग / 2016 / 3167-70 दुर्ग, दिनांक 04 / 03 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन तृतीय तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. जिलाधीश महोदया, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निकुम जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहका / नगपुरा जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दुर्ग छ.ग.

Other letter

917
8/8/2016

प्रारूप "ख"

(नियम 5 का उप–नियम (6) देखिए)

अनुमोदन का प्रमाण – पत्र

नीचे वर्णित स्थान को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया जाता है :

................................12.............................. सप्ताहों के भीतर पढे गए रूप में

स्थान का नाम	:	*श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पीटल*
पता तथा अन्य वर्णन :		*जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.*
स्वामी का नाम	:	*श्री आई.पी.मिश्रा*
स्थान	:	जिला दुर्ग
तारीख	:	08.08.2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दुर्ग छ.ग.

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर,
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 3120 / प्रोजेक्ट / संचिशि / 2016 रायपुर, दिनांक 15/ 3 / 2016

प्रति,

संचालक,
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट,
ऑफ मेडिकल साइंस,
जुनवानी भिलाई (छ.ग.)

विषयः– Request for issue of NOC for procurement of Human organs for teaching purpose in Medical College.

संदर्भः– आपका पत्र दिनांक 09.02.2016

....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि संचालनालय के अधिनस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त देह उपलब्ध नहीं है। तत्संबंध में आप दान स्वरूप प्राप्त देह को छत्तीसगढ़ एनॉटामी एक्ट (छायाप्रति संलग्न) – 21 अक्टूबर 2014 के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय के उपयोग हेतु ला सकते है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट" के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2014—आश्विन 29, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (1). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संस्थानों को शरीर रचना संबंधी परीक्षण एवं विच्छेदन करने के लिये "अनुमोदित संस्थान" के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. स्वशासी/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;
2. स्वशासी/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;
3. स्वशासी/शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;
4. स्वशासी/शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;
5. स्वशासी/शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;
6. स्वशासी/शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय तथा निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21 -08/2013/नौ/55-4 (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (1). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government hereby, approves the following institutions to carry on anatomical examination and dissections as "approved institution", namely :-

1. Autonomous/Government Medical Colleges and Hospitals and Private Medical Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
2. Autonomous/Government Dental Colleges and Hospitals and Private Dental Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
3. Autonomous/Government Ayurvedic Colleges and Hospitals and Private Ayurvedic Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
4. Autonomous/Government Homeopathic Colleges and Hospitals and Private Homeopathic Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
5. Autonomous/Government Yunani Colleges and Hospitals and Private Yunani Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
6. Autonomous/Government Physiotherapy Colleges and Private Physiotherapy Colleges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (2). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शक्तियों को प्रयोग करने के लिये "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में अधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (2). In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government hereby, authorizes Dean/Principal of all Medical Colleges and Chief Medical and Health Officers/Civil Surgeons within their respective jurisdiction to exercise powers under Section 5 of the said act as "Authorized Officer".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (3). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जिलाधीशों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21 -08/2013/नौ/55-4 (3). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (3). -- In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government, hereby, authorizes collectors within their respective jurisdiction to discharge duties under Section 3 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट 2013, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Email ID- nhadurg@gmail.com PH No.0788-2210773,2210192

क्रमांक / न.हो.ए. / 2020 / 203 दुर्ग दिनांक 03/06/2020

प्रति,

संचालक,
समस्त नर्सिंग होम / हास्पीटल
डायग्नोस्टिक सेंटर / ऐलोपैथिक क्लीनिक जिला–दुर्ग,(छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 तथा नियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत क्लीनिक / नर्सिंग होम, पैथालॉजी व रेडियोलॉजी लैब इत्यादि के नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– राज्य कार्यक्रम अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का पत्र क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2020 305 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 28.05.2020।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि दुर्ग जिले में नर्सिंग होम / हास्पीटल / क्लीनिक / डायग्नोस्टिक सेंटर को पूर्व में जारी लायसेंस की वैधता समाप्त हो जाने के कारण नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का पत्र क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2020 305 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 28.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी लाईसेंस की समय–सीमा 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / न.हो.ए / 2020 / 204 दुर्ग दिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. संचालक स्वास्थ्य सेवायें नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी(अस्प.प्रशा.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें इंद्रावती भवन तृतीय तल नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Dean/MS